फर्द अहकाम
(नियम–26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), मुकाम जायल (नागौर)

गिरधारी राम बनाम देवाराम

रस्म प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र 26/13 मुकदमा नम्बर 26 /2013

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशिलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
01.04.2013	प्रार्थी/प्रार्थीगण के द्वारा यह राजस्व प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया है जो दर्ज रजिस्टर होकर जरिये नोटिस प्रार्थीगणों को तलब किया जावें पत्रावली तारीख पेशी 5/4/13 को पेश हो। सहायक कलक्टर (एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)	
5/4/13	वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी सं. 1 का सम्मन अप्रार्थी द्वारा तामिल करने से इनकार करने की रिपोर्ट द्वारा तामिल कुनन्दा का प्राप्त हुआ। अप्रार्थी सं 2 व 3 का सम्मन स्वयं से तामिल होकर प्राप्त हुआ जो शामिल किया गया। अप्रार्थीगण 1 से 3 बावजूद सूचना एवं न्यायालय द्वारा बार-बार आवाज लगाई जाने पर भी गैर हाजिर रहे हैं। अतः इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वकील प्रार्थी को एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 26/4/13 को पेश हो। रजाकार/पक्षकारान के [illegible] 26.4.13 पीठासीन अधिकारी [illegible] में अवकाश [illegible] उनके समक्ष दिनांक 7.6.13 को प्रस्तुत करें।	
7/6/13	वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि वे आदेश 1 नियम 10 के तहत प्रार्थना-पत्र पेश करना चाहते हैं जिसके लिए अवसर दिया जावे। पत्रावली दिनांक 21/6/2013 को पेश हो।	

Scanned by CamScanner

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	अनुपालन संक्षिप्त
28.7.17	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पत्रावली – न्याय आपके द्वार शिविर प्रस्तुत होने पर आज पेशी पर ली गई पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 8-9-17 को प्रस्तुत करें।	
8-9-17	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 02-02-18 को प्रस्तुत करें।	
2-2-18	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 24-5-18 को प्रस्तुत करें।	
24.5.18	पत्रावली न्याय आप के द्वार शिविर में अरल सेवा केन्द्र गेलोली में पेश हुई वकील प्रार्थी ने एक दर. आदेश-1 नियम 10 सी.पी.सी. दि 5-12-14 को निवेदन की पेश करने हेतु प्रस्तुत किया था जो कि चार वर्ष का समय व्यतीत होने के उपरान्त भी पेश नहीं की प्रक्रिया पत्र चलाने के कारण प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है तथा पैरवी भी नहीं की जा रही है इसलिये प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दफतर दाखिल हो।	

Scanned by CamScanner